रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1236] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2015/ज्येष्ठ 25, 1937
No. 1236] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2015 /JYAISTHA 25, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,15 जून, 2015

का.आ.1571(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द पूना ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन, पीबीएमए का एच.वी. देसाई आई अस्पताल, क्रम सं० 93/2 तारावाई वस्ती, मोहम्मदवाड़ी, हडासपसार, पुणे-411060" द्वारा "धर्मसे नेन्सी सुपर स्पेशिएलटी आंखों की देखभाल का केंद्र, नेत्र सतह प्रबंध संस्थान, सामुदायिक नेत्र-विज्ञान विभाग, डाक्टरों के क्वार्टर और कैंटीन की स्थापना करके पीबीएमए की एच.वी. देसाई आंखों के अस्पताल की परियोजना का विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2409(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया;

और जबकि परियोजना लागत को 7.14 करोड़ रूपए से 39.39 करोड़ रूपए तक बढ़ाने की संभावना है ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 7.14 करोड़ रूपए से 39.39 करोड़ रूपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (क) "द पूना ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन पीबीएमए का एच.वी. देसाई आई अस्पताल, क्रम सं० 93/2 तारावाई वस्ती, मोहम्मदवाड़ी, हडासपसार, पुणे-411060" द्वारा चलाई जा रही "धर्मसे नेन्सी सुपर स्पेशिएलटी आंखों की देखभाल का केंद्र, नेत्र सतह प्रबंध संस्थान, सामुदायिक नेत्र-विज्ञान विभाग, डाक्टरों के क्वार्टर और

कैंटीन की स्थापना करके पीबीएमए की एच.वी. देसाई आंखों के अस्पताल की परियोजना का विस्तार'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) दिनांक 18.03.2010 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 614(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 20, कालम (4) के सामने सारणी में, "7.14 करोड़ रूपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "39.39 करोड़ रूपए'' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं.141 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)